

**न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.**

व्य.वाद क 08ए/2017

संस्थित दिनांक 28.01.2017

फा.नंबर-165/2017

- 1.जानकीबाई आयु-60 साल पति स्व0 चेतनसिंह,
जाति गोंड निवासी सिंगबाघ, बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट ।
- 2.उमाबाई आयु 42 साल पिता स्व0 चेतनसिंह पति दर्शन,
जाति गोंड निवासी गुदमा तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 3.उर्मिलाबाई आयु 38 साल पिता स्व0 चेतनसिंह, पति ज्ञानसिंह जाति गोंड
निवासी बन्ना, तहसील बैहर जिला बालाघाट ।
- 4.देवकीबाई आयु-33 साल पिता स्व0 चेतनसिंह, पति रूपसिंह
जाति गोंड निवासी सिंगबाघ, बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट ।
- 5.रघुवीर आयु-32 साल पिता स्व0 चेतनसिंह
जाति गोंड निवासी सिंगबाघ, बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट ।
- 6.रेवतीबाई आयु-30 साल पिता स्व0 चेतनसिंह पति अर्जुनसिंह
जाति गोंड निवासी लगमा, तहसील बैहर जिला बालाघाट ।
- 7.प्रेमसिंह सैयाम आयु 73 साल पिता भैनसिंह,
जाति गोंड, निवासी सिंगबाघ बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 8.नानोबाई आयु 55 साल पति स्व0 हिरनसिंह,
जाति गोंड, निवासी सिंगबाघ बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 9.अनीता आयु 38 साल पिता स्व0 हिरनसिंह पति अजोबसिंह,
जाति गोंड निवासी साडा-मजगांव तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट
- 10.घनश्याम आयु 35 साल पिता स्व0 हिरनसिंह
जाति गोंड निवासी सिंगबाघ बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 11.जोहर आयु 28 साल पिता स्व0 हिरनसिंह, जाति गोंड,
निवासी सिंगबाघ बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 12.नन्हूसिंह सैयाम आयु 55 साल पिता श्री भैनसिंह,
जाति गोंड निवासी सिंगबाघ बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 13.बलदेवसिंह आयु 50 साल पिता स्व0 भैनसिंह, जाति गोंड,
निवासी भिमलाट तहसील बैहर जिला बालाघाट ।

.....वादीगण

:: विरुद्ध ::

- 1.समोखिनबाई आयु 47 साल पिता निर्मलसिंह, पति चैनसिंह,
जाति गोंड, निवासी तुमडीभाट बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट,
- 2.रंजीतसिंह आयु 44 साल पिता श्री निर्मलसिंह जाति गोंड
निवासी सिंगबाघ, बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट ।
- 3.शकुन्तला आयु 42 साल पिता श्री निर्मलसिंह पति सवनुसिंह,
जाति गोंड, निवासी तुमडीभाट बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट,
- 4.अहिल्याबाई आयु 40 साल पति स्व0 सुरजीतसिंह,
जाति गोंड निवासी सिंगबाघ, बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट ।

5. रूपेश वरकड़े आयु 08 साल पिता खुशीराम ना0बा0 वली
पिता श्री खुशीराम, जाति गोंड निवासी मोवाला,
तहसील बैहर जिला बालाघाट।
6. रजनीबाई आयु 28 साल पिता स्व0 निर्मलसिंह पति मानेश्वर धुर्वे,
जाति गोंड निवासी परापुर तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट।
7. सुधीर आयु 27 साल पिता स्व0 निर्मलसिंह, जाति गोंड,
निवासी सिंगबाघ बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट
8. सनियारोबाई उर्फ सतुला आयु 55 साल पति श्री मक्खनसिंह,
जाति गोंड निवासी सिंगबाघ बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट
9. विजय उम्र-28 साल पिता श्री तोकसिंह, जाति गोंड,
निवासी मोहबट्टा, तहसील बैहर जिला बालाघाट
10. तीजनबाई उम्र-34 वर्ष पति श्री हरेसिंह सैयाम, जाति गोंड,
निवासी छिंदीटोला मोहगांव तहसील बिरसा जिला बालाघाट
11. बीजनबाई उम्र-30 वर्ष पति श्री बलदेवसिंह जाति गोंड,
निवासी सरईटोला गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट
12. जीतनसिंह उम्र-70 वर्ष पिता श्री भैनसिंह जाति गोंड,
निवासी सिंगबाघ बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट,
13. जहूरा उम्र-31 वर्ष पिता हीरनसिंह, पति राजकुमार, जाति गोंड,
निवासी ठेमा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट,
14. श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाट।

.....प्रतिवादीगण

:: निर्णय ::

(दिनांक 07.12.2017 को घोषित)

01. वादीगण द्वारा यह वाद स्वत्व उद्घोषणार्थ, संशोधन क्रमांक 255 दिनांक 25.09.1961 शून्य घोषित किये जाने, अंश निर्धारण एवं पांचसाला खसरा ख.नं.277/1क रकबा 2.606 हेक्टेयर भूमि पर हुई अवैध प्रविष्टि को अपास्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
02. वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपरोक्त वर्णित पता अनुसार निवासरत हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 से 13 मृतक मूल पुरुष भैनसिंह के वैध वारसान हैं। वादी क्रमांक 01 से 06 मृतक चेतनसिंह के वैध वारसान हैं तथा वादी क्रमांक 07 मूल पुरुष भैनसिंह का पुत्र है तथा वादी क्रमांक 08 से 11 मृतक मूल पुरुष भैनसिंह के पुत्र मृतक हीरनसिंह के वैध वारसान हैं तथा वादी क्रमांक 12 एवं 13 मृतक मूल पुरुष भैनसिंह के पुत्र हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 01 से 07 मृतक मूल पुरुष भैनसिंह के मृतक पुत्र निर्मलसिंह के वैध वारसान हैं तथा प्रतिवादी क्रमांक 08 मृतक मूल पुरुष भैनसिंह के मृतक पुत्र मक्खनसिंह की पत्नि है तथा प्रतिवादी क्रमांक 09 से 11 मृतक मूल पुरुष भैनसिंह की मृतक पुत्री परभी की वैध संताने हैं तथा प्रतिवादी क्रमांक 12 मृतक मूल पुरुष भैनसिंह का पुत्र है एवं प्रतिवादी क्रमांक 13 मृतक मूल पुरुष भैनसिंह के मृतक पुत्र हीरनसिंह की पुत्री

है। मूल पुरुष भैनसिंह की दो पत्नियाँ थी, जिसमें प्रथम पत्नि साहोबाई तथा द्वितीय पत्नि सोनीबाई थी तथा दोनों पत्नियों से भैनसिंह की कुल 09 संतानें हुई, जिसमें प्रथम पत्नि साहोबाई से प्रतिवादी क्रमांक 12 जीतनसिंह, चेतनसिंह, प्रेमसिंह, हीरनसिंह, नन्हुसिंह तथा बलदेवसिंह हैं। इसी प्रकार द्वितीय पत्नि सोनीबाई के वारसान कमशः निर्मलसिंह, मक्खनसिंह तथा परभी उत्पन्न संतानें हैं।

03. प्रथम पत्नि साहोबाई के जीवनकाल में ही भैनसिंह ने द्वितीय पत्नि सोनीबाई को सामाजिक मान्यता अनुसार चूड़ी पहनाकर बतौर पत्नि रख लिया था। भैनसिंह के जीवनकाल में द्वितीय पत्नि सोनीबाई ने राजस्व अधिकारी/कर्मचारी से साठ-गांठ कर भैनसिंह की खानदानी भूमि पर भैनसिंह के जीवित होने के पश्चात भी उसे मृत बताकर राजस्व प्रलेखों में भैनसिंह की बेवा बताकर अपना नाम सोनी बेवा भैनसिंह दर्ज करवा लिया तथा वर्ष 1957-58 में अपने बच्चों व पति भैनसिंह को छोड़कर दूसरा पति बना ली। वर्ष 1961 में सोनीबाई के तीन वर्ष से दूसरा खाविंद अर्थात् पति बनाने से उक्त खानदानी भूमि पर सोनीबाई के दोनों नाबालिग पुत्र निर्मल व मक्खन का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज किया गया। उक्त संपूर्ण तथ्यों की जानकारी वादीगण को प्रथम बार तब हुई, जब निर्मलसिंह का पुत्र रंजीत वादी क्रमांक 07 प्रेमसिंह के पास आया और कहा कि पिताजी की फौती कटवाना है। उसके साथ पटवारी कार्यालय चलो, जब वादी क्रमांक 07 निर्मलसिंह के पुत्र के साथ पटवारी कार्यालय 17/1 पहुँचा, तो उसे दिनांक 18.01.2017 को प्रथम बार जानकारी हुई कि उक्त खानदानी भूमि पर मूल पुरुष भैनसिंह की द्वितीय पत्नि सोनीबाई के पुत्रों निर्मल एवं मक्खन का नाम दर्ज है तथा शेष वारसानों का नाम अर्थात् वादीगण का नाम दर्ज नहीं है। दिनांक 18.01.2017 को वादीगण द्वारा अधिकार अभिलेख पंजी वर्ष 1954-55, संशोधन पंजी दिनांक 25.09.1961 एवं पांचसाला खसरा की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के पश्चात जानकारी हुई।

04. वादग्रस्त भूमि खानदानी भूमि है। उक्त भूमि पर मूल पुरुष भैनसिंह की दोनों पत्नियों के वारसानों का नाम दर्ज होना था, परंतु भूमि हड़पने की नियत से सोनीबाई ने अपने जीवनकाल में साहोबाई के वारसानों को हक व हिस्सा न मिले, राजस्व प्रलेखों में हेर-फेर करवाया। वादग्रस्त खानदानी भूमि कुल रकबा 32.00 एकड़ में से 16 एकड़ भूमि पर वादीगण का कब्जा व काश्त है तथा खसरा नंबर 277/1/क रकबा 2.606 हेक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 12 ने बिना भूमि कय किये, बिना कोई संशोधन के बिना कोई राजस्व न्यायालय के आदेश के उक्त खानदानी भूमि के अंश भाग पर अपना नाम चोरी-छिपे दर्ज करवा लिया है। उक्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 12 के नाम पर कैसे दर्ज हुई, इस बात का उल्लेख पांचसाला खसरे में नहीं है और ना ही कोई राजस्व रिकार्ड उपलब्ध है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रमांक 12 ने शेष प्रतिवादीगण से दुरभी संधि कर वादीगण का स्वत्व समाप्त

करने की नियत से वादीगण को भ्रम में रखने की नियत से उक्त भूमि अपने नाम करवा लिया है, जो अविधिक होने से उक्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 12 का नाम अपास्त किये जाने अर्थात् शून्य किये जाने योग्य है। प्रतिवादी क्रमांक 12 का उक्त भूमि के अंश भाग पर जो उसके नाम दर्ज है, उस पर कोई कब्जा नहीं है।

05. वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन 3,000/- रुपये पर स्वत्व उद्घोषणार्थ हेतु 1,000 रुपये पर 500/- रुपये तथा संशोधन पंजी क्रमांक 255 दिनांक 25.09.1961 एवं खसरा नंबर 277/1/क रकबा 2.606 हेक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 12 के नाम की प्रविष्टि को शून्य घोषणार्थ हेतु 1,000/- रुपये पर 120/- रुपये तथा वादीगण को उक्त खानदानी भूमि के 740/- रुपये न्यायशुल्क चस्पा किया गया है। अतः वादीगण की खानदानी भूमि खसरा नंबर क्रमशः 190, 191, 197/1क, 193/3, 255, 267/1, 267/3, 277/1क, 277/1/ख, रकबा क्रमशः 6.227, 0.688, 0.437, 0.971, 0.121, 2.606, 1.926 मौजा बैहरमाल, प.ह.नं.17/1, रा.नि.मं. व तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित भूमि पर वादीगण का स्वत्व घोषणा तथा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का स्वत्व होने से संशोधन पंजी क्रमांक 255 दिनांक 25.09.61 एवं खसरा नंबर 277/1/क रकबा 2.606 हेक्टेयर भूमि पर हुई प्रतिवादी क्रमांक 12 के नाम की अवैध प्रविष्टि को शून्य किये जाने तथा वादग्रस्त भूमि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 से 11 के विरुद्ध 1/2 अंश निर्धारण किये जाने की आज्ञा प्रदत्त किये जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है।

06. पक्षकारों की पहचान तथा वादग्रस्त भूमि के स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त, वादीगण के अभिवचनों का प्रात्याख्यान कर अपने जवाबदावे में प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 08 ने यह व्यक्त किया है कि सन् 1954-55 की जमाबंदी के अनुसार वादग्रस्त भूमि सोनी बेवा भैनसिंह बतौर भूमिधारी राजस्व प्रलेखों में दर्ज था एवं सोनी द्वारा अपने पुत्र निर्मल व मखन एवं पति भैनसिंह को छोड़कर दूसरा पति बना लेने के कारण उक्त वादग्रस्त भूमि भैनसिंह के पुत्रों निर्मल एवं मखन के नाम पर वर्ष 1954-55 के अनुसार राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुई थी। उक्त वादग्रस्त भूमि संशोधन पंजी क्रमांक 255 दिनांक 25.09.1961 को उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में हुए संशोधन द्वारा पुत्र निर्मल, मखन नाबालिग वली पिता भैनसिंह का नाम दर्ज हुआ, तब से वादग्रस्त भूमि पर पुत्र निर्मल एवं मखन का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज चला आ रहा है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को खानदानी भूमि होने के आधार पर यह दावा लाया गया है, परंतु उनके द्वारा ऐसा कोई राजस्व प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में विक्रम या भैनसिंह के नाम पर दर्ज थी। वादीगण द्वारा झूठे एवं मनगढ़ंत तथ्यों का सहारा लेकर यह दावा प्रस्तुत किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि भैनसिंह की खानदानी भूमि नहीं है। इस कारण उक्त वादग्रस्त भूमि पर भैनसिंह या उनके पूर्वज विक्रम का नाम कभी भी राजस्व प्रलेखों में दर्ज नहीं हुआ। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में भैनसिंह की

द्वितीय पत्नि सोनीबाई के नाम पर दर्ज थी। उसके पश्चात उसके दोनों पुत्रों निर्मल एवं मकखन के नाम पर राजस्व प्रलेखों में दर्ज चली आ रही है। वर्ष 2001 में भैनसिंह की मृत्यु हो चुकी थी। उक्त वादग्रस्त भूमि भैनसिंह की खानदानी भूमि होती तो अवश्य ही पूर्व में भैनसिंह के पूर्वज या उनके वारसानों द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपना नाम दर्ज कराने की कार्यवाही की जाती, परंतु वादीगण को इस तथ्य की जानकारी पूर्व से ही थी कि उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण की खानदानी भूमि नहीं है। इस कारण से उन्होंने उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में कभी भी कोई हक, अधिकार या दावा प्रस्तुत नहीं किया। इतने वर्षों के पश्चात मात्र वारसान निर्मल एवं मकखन के वारसानों को महज परेशान करने के आशय से यह झूठा दावा प्रस्तुत किया गया है, जिसे निरस्त किया जावे।

07. पक्षकारों की पहचान तथा वादग्रस्त भूमि के स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त, वादीगण के अभिवचनों का प्रात्याख्यान कर अपने जवाबदावे में प्रतिवादी क्रमांक 09 लगायत 13 ने यह व्यक्त किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही खानदान के व्यक्ति है। राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के कारण उक्त परिस्थितियाँ निर्मित हुई है। प्रतिवादी क्रमांक 09 से लगायत 13 ने वादीगण से कोई दुरभि संधि नहीं की है। वादीगण का उक्त भूमि पर स्वत्व विनिश्चित होने से अंश निर्धारण होने से प्रतिवादी क्रमांक 09 लगायत 13 को कोई आपत्ति नहीं है।

08. उभयपक्ष के अभिवचनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है, जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादग्रस्त संपत्ति खसरा नंबर 190, 191, 197/1क, 193/3, 255, 267/1, 267/3, 277/1क, 277/1/ख रकबा क्रमशः 6.227, 0.688, 0.437, 0.971, 0.121, 2.600, 1.926 मौजा बैहरमाल, प.ह.नं.17/1, रा.नि.मं. व तहसील बैहर जिला बालाघाट वादीगण की पैतृक संपत्ति है ?	प्रमाणित नहीं
2.	क्या वादीगण वादग्रस्त संपत्ति के 1/2 अंश के अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं
3.	क्या वाद अवधि बाह्य है ?	प्रमाणित नहीं
4.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका क्रमांक 16 के अनुसार वाद निरस्त

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 03:-

09. वादीगण के अनुसार उन्हें वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम होने की जानकारी प्रथम बार तब हुई, जब निर्मलसिंह का पुत्र रंजीत वादी क्रमांक 07 प्रेमसिंह के पास आया और कहा कि पिताजी की फौती कटवाना है। उसके साथ पटवारी कार्यालय चलो, जब वादी क्रमांक 07 निर्मलसिंह के पुत्र के साथ पटवारी कार्यालय 17/1 पहुँचा तो उसे दिनांक 18.01.2017 को प्रथम बार जानकारी हुई कि उक्त खानदानी भूमि पर मूल पुरुष भैनसिंह की द्वितीय पत्नि सोनीबाई के पुत्रों निर्मल एवं मक्खन का नाम दर्ज है तथा शेष वारसानों का नाम अर्थात् वादीगण का नाम दर्ज नहीं है। दिनांक 18.01.2017 को वादीगण द्वारा अधिकार अभिलेख पंजी वर्ष 1954-55, संशोधन पंजी दिनांक 25.09.1961 एवं पांचसाला खसरा की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के पश्चात हुई। जबकि प्रतिवादीगण के अनुसार वाद अवधि बाह्य है।

10. उक्त तथ्य को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है, परंतु उनके द्वारा तत्संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अपितु स्वयं प्रतिवादी सनियारोबाई प्र.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में यह स्वीकार किया है कि नाम न होने की बात पता चलने पर ही विवाद हुआ। मात्र मौखिक औपचारिक कथन कर देने से तत्संबंध में कोई उपधारणा नहीं की जा सकती। वादीगण द्वारा वादग्रस्त संपत्ति में स्वत्व घोषणा का अनुतोष चाहा गया है, जिससे यह दर्शित है कि वर्तमान वाद परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किया गया है। फलतः विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निष्कर्ष:-

11. वादपत्र के अपने अभिवचनों का समर्थन कर वादी प्रेमसिंह वा.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि मूल पुरुष भैनसिंह पिता विक्रमसिंह की दो पत्नियाँ थी तथा प्रथम पत्नि साहोबाई के जीवनकाल के दौरान ही भैनसिंह ने द्वितीय पत्नि सोनीबाई को सामाजिक मान्यता अनुसार चूड़ी पहनाकर बतौर पत्नि रखा था। प्रथम पत्नि साहोबाई से जितनसिंह, चेतनसिंह, हिरनसिंह, नन्हूसिंह, बलदेव सिंह तथा वह उत्पन्न हुए और द्वितीय पत्नि सोनीबाई से निर्मलसिंह, मक्खनसिंह तथा पुत्री परभी उत्पन्न हुए। भैनसिंह के जीवनकाल में ही सोनीबाई ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर भैनसिंह की खानदानी भूमि पर उसे फौत बताकर राजस्व प्रलेखों में अपना नाम सोनीबाई बेवा भैनसिंह दर्ज करवा लिया तथा वर्ष 1957-58 में बच्चों व पति को छोड़कर दूसरा पति बना लिया, जिसके पश्चात वर्ष 1961 में उक्त खानदानी भूमि पर सोनीबाई के दोनों नाबालिग पुत्रों निर्मल व मक्खन का नाम दर्ज कर लिया गया। वादग्रस्त भूमि खानदानी भूमि है, जिस पर भैनसिंह की दोनों पत्नियाँ साहोबाई एवं सोनीबाई के वारसानों का नाम दर्ज होना था, परंतु भूमि हड़प करने की नियत से सोनीबाई ने

साहोबाई एवं उसके विधिक वारसानों का हक समाप्त करने की नियत से राजस्व रिकार्डों में हेर-फेर करवाया, जो कि अविधिक होकर शून्य है।

12. प्रेमसिंह वा.सा.01 के अनुसार वादग्रस्त खानदानी भूमि कुल रकबा 32.06 एकड़ में से 16 एकड़ भूमि पर उसका तथा अन्य वादीगण का काश्त कब्जा है, परंतु खसरा नंबर 277/1/क रकबा 2.606 हेक्टेयर पर प्रतिवादी क्रमांक 12 ने बिना किसी अधिकार तथा बिना किसी राजस्व न्यायालय के आदेश के अपना नाम दर्ज करवा लिया। उक्त संपूर्ण तथ्यों की जानकारी उन्हें प्रथम बार तब हुई जब निर्मलसिंह का पुत्र रंजीत पिताजी की फौती कटवाने के लिए उसके पास आकर पटवारी कार्यालय चलने को कहा, तब पटवारी कार्यालय 17/1 दिनांक 18.01.2017 को पहुँचने पर उन्हें प्रथम बार यह जानकारी हुई कि खानदानी भूमि पर उनका व अन्य खातेदारों का नाम दर्ज नहीं है तथा केवल भैनसिंह की द्वितीय पत्नि सोनी बाई के पुत्रों का नाम दर्ज है। मूल पुरुष भैनसिंह की मृत्यु हो चुकी है। भैनसिंह की दोनों पत्नियाँ साहोबाई एवं सोनीबाई के अलावा निर्मल एवं मक्खन भी फौत हो चुके हैं। वादग्रस्त भूमि उनकी खानदानी भूमि है, जिस कारण उस पर स्वत्व घोषणा तथा उनका 1/2 अंश निर्धारण किया जाना आवश्यक है। उसने वाद के समर्थन में अधिकार अभिलेख पंजी वर्ष 1954-55 प्र.पी.01, संशोधन पंजी वर्ष 1961 प्र.पी.02, पांचसाला खसरा वर्ष 2016-17 प्र.पी.03 लगायत प्र.पी.09, नक्शा प्र.पी.10 लगायत प्र.पी.14 एवं शासकीय प्राथमिक शाला कमल नगर बैहर का प्रमाण पत्र प्र.पी.15 पेश किया है। उक्त कथनों का समर्थन नन्हूसिंह वा.सा. 02, बलदेव वा.सा.03 तथा रघुवीर वा.सा.04 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किया है।

13. वादी साक्षियों के कथनों का खंडन कर प्रतिवादी सनियारोबाई प्र.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि उसके पति मक्खनसिंह की मृत्यु वर्ष 2001 में हो चुकी है। उसके ससुर भैनसिंह ने अपने जीवनकाल में जाति रीति रिवाज अनुसार दो पाठ विवाह किया था, जिसके वारसान उभयपक्ष उक्त एक ही खानदान के व्यक्ति हैं। वादग्रस्त भूमि उसकी सास सोनीबाई की स्व-अर्जित भूमि थी तथा वर्ष 1951-52 में भैनसिंह को छोड़कर अन्य व्यक्ति से पाठ विवाह कर लेने के कारण वर्ष 1954-55 के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम खारिज किया जाकर दोनों पुत्रों मक्खनसिंह एवं निर्मलसिंह का नाम दर्ज हुआ। संशोधन पंजी क्रमांक 255 दिनांक 25.09.61 के अनुसार उसके पति मक्खनसिंह व देवर निर्मलसिंह का नाम दर्ज होने के पश्चात से राजस्व प्रलेखों में उनका नाम दर्ज चला आ रहा है। चूँकि वादग्रस्त भूमि सोनीबाई की स्व-अर्जित भूमि थी, इस कारण उस पर सोनीबाई के दोनों पुत्रों तथा पश्चात में उनके वारसानों का अधिकार है, जिस कारण वर्तमान वाद निरस्त किये जाने योग्य है। उसने जवाबदावा के समर्थन में किश्तबंदी खतौनी वर्ष 1954-55 प्र.डी.01, प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.02, संशोधन पंजी दिनांक 25.09.61 प्र.डी.03 तथा वर्तमान पांचसाला खसरा प्र.डी.04 प्रस्तुत किया है।

उक्त कथनों का समर्थन मंगलोबाई प्र.सा.02 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किया है।

14. वादीगण के अनुसार वादग्रस्त संपत्ति उनकी खानदानी संपत्ति है, जिस पर मूल पुरुष भैनसिंह की दोनों पत्नियों का नाम दर्ज होना था। संपूर्ण प्रकरण में वादीगण द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पैतृक होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। सभी वादी साक्षियों ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा वादग्रस्त संपत्ति भैनसिंह अथवा विक्रमसिंह के नाम पर होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वादीगण द्वारा प्रकरण में मात्र वादग्रस्त भूमि के पैतृक होने के मौखिक औपचारिक कथन किये गये हैं। प्रकरण में कहीं भी वादीगण द्वारा यह दर्शित नहीं किया गया है कि वादग्रस्त भूमि विक्रमसिंह की थी अथवा भैनसिंह की स्व-अर्जित भूमि थी। वादीगण का मुख्य आधार केवल प्र.पी.01 के दस्तावेज में सोनी बेवा भैनसिंह दर्ज होना है, जिसे विलोपित किया गया था, क्योंकि प्रकरण की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि भैनसिंह की मृत्यु पश्चात में हुई। अब प्रश्न यह है कि साक्ष्य के अभाव में मात्र उक्त आधार पर वादग्रस्त भूमि के पैतृक होने की उपधारणा की जा सकती है।

15. प्रतिवादीगण के अनुसार वादग्रस्त भूमि सोनीबाई की स्व-अर्जित भूमि थी, परंतु प्रतिवादीगण द्वारा भी तत्संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं गई है, अपितु स्वयं प्रतिवादी सनियारोबाई प्र.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 10 में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि के आधे भाग में वादीगण का कब्जा है और नाम न होने की बात पता चलने पर विवाद हुआ, जो कि वादीगण के भी अभिवचन है। प्रथमतः वादीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वादग्रस्त भूमि के किस विशिष्ट भाग पर उनका आधिपत्य है। तत्पश्चात यदि उनका आधिपत्य स्वीकृत भी कर लिया जाए, तब भी मात्र आधिपत्य के आधार पर उनके स्वामित्व की कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है, क्योंकि वादीगण द्वारा प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के पैतृक होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसी स्थिति में मात्र प्र.पी.01 में सोनी बेवा भैनसिंह लिखा होने के आधार पर उक्त अभिलेख को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उक्त अभिलेख में सोनी बाई का नाम विलोपित ही किया गया था। वास्तव में यदि सोनीबाई का जमीन हड़पने का आशय रहा होता तो उसके द्वारा स्वयं का नाम भी दर्ज रहने दिया जाता। यद्यपि प्रतिवादीगण यह दर्शित करने में असफल रहे हैं कि वादग्रस्त भूमि सोनीबाई की स्व-अर्जित भूमि थी, परंतु उनकी कमियों का लाभ वादीगण को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सबूत का भार अंततः वादीगण पर ही है, जिसमें वह पूर्णतः अफसल रहे हैं। चूंकि वादीगण वादग्रस्त भूमि पर कोई अधिकार दर्शित करने में असफल रहे हैं। फलतः विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 04 का निष्कर्ष:-**सहायता एवं व्यय:-**

16- उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। परिणाम स्वरूप वर्तमान वाद अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है तथा निम्नानुसार आज्ञा पारित की जाती है:-

अ- वादीगण वाद व्यय वहन करेंगे।

ब- अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा तालिका अनुसार जो कम हो वाद व्यय में जोड़ी जावे।

तदनुसार उक्त आशय की आज्ञा बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर,
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)